यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰ शिक्षा) टिहरी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰ शिक्षा) टिहरी, के माह 07/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.01.2019 से 16.01.2019 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 012/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(अ) **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰ शिक्षा) टिहरी का मुख्य कार्यकलाप राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना है और उनके अध्यापको को वेतन प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक क्षेत्र समस्त टिहरी जिला है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	00	00	00	00	00	00
2016-17	00	00	00	00	00	00
2017-18	1210.00	00	1105.17	00	104.83	00
2018-19 (12/2018)	972.79	00	743.03	00	00	00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

---------- शून्य ----------

(ii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई की श्रेणी "सी" है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1-सचिव, 2-महानिदेशक, 3-निदेशक माध्यमिक शिक्षा, 4-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, 5-मंडलीय अपर निदेशक (मा° शि°), 6-मुख्य शिक्षा अधिकारी, 7-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा° शिक्षा)।

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा) टिहरी की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा° शिक्षा) टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माह का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर: 1-विभागीय लापरवाही के कारण रू॰ 9.46 लाख का कर्मचारियो/अधिकारियों के खाते (PRAN) मे जमा न किया जाना।

आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व है की कर्मचारियो/अधिकारियों के वेतन से अंशदायी पेंशन योजना के तहत अंशदान उनके वेतन भत्तो से कटौती कर उंनके खाते (PRAN) मे जमा करने की कार्यवाही करना।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰ शिक्षा) टिहरी के अधीन वित्त पोषित अशासकीय विद्यालयों के वेतन संबंधित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सुमन सुरकनडा जूनियर हाई स्कूल, कद्दूखाल, टिहरी के मैनेजमेंट बैंक खाते मे कर्मचारियो/अधिकार्यों के वेतन से NPS की अंशदान कटौती के रू॰ 5,37,032/- दिनांक 8.6.2018 के पश्चात खाते मे लंबित रखे गए थे तथा जागृति जूनियर हाई स्कूल धनोल्टी विद्यालय के कर्मचारियो/अधिकारियों के NPS अंशदान कटौती रू॰ 4,09,652/- दिनांक 19.07.2018 के पश्चात खाते मे लंबित रखे गए थे। इस प्रकार कुल धनराशि रू॰ 9,46,684/- मैनेजमेंट के बैंक खाते मे लंबित रखा गया था।आगे जांच मे यह पाया गया कि विद्यालय प्रशासन ने NPS कटौती की धनराशि रू॰ 9,46,684/- को मुख्य शिक्षा अधिकारी के NPS खाते मे स्थानातरित नहीं किया था जिस कारण उक्त धनराशि का अंशदान कर्मचारी/अधिकारी के खाते (PRAN) मे जमा नहीं हो पाया, जिस कारण सरकार का अंश एवं कर्मचारी का अंश दोनों मिलकर (PRAN) खाते मे जमा नहीं हो पाये एवं मैनेजमेंट के खाते मे धनराशि आतिथि तक लंबित थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वार उत्तर मे बताया गया कि बैंक द्वारा हस्ताक्षर मिलान न होने के कारण चेक की धनराशि संयुक्त खाते से आहरित नहीं हो पायी थी। विद्यालय को तत्काल चैक पर पुन: सही हस्ताक्षर कर मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबन्धित कर्मचारियो के खाते (PRAN) मे जमा करवाने के निर्देश दिए गए है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिनांक 08.06.2018 एवं 19.07.2018 से 01/2019 तक 6 माह कि अवधि व्यतीत हो जाने का बाद भी हस्ताक्षर मिलान कि कार्यवाही नहीं की गयी थी, जिस कारण NPS कटौती की धनराशि रू॰ 9,46,684/- विभागीय उदासीनता के कारण PRAN खाते मे जमा नहीं किया जा सका था।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰ शिक्षा) टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. शून्य

3- सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |

क्रम स॰	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री सुदर्शन सिंह बिष्ट	आहरण वितरण अधिकारी	01.4.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰ शिक्षा) टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले॰प॰) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़ रोड, देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.